

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच**

विषय:

नदियों, झीलों और जलाशयों को अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों से बचाएँ।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

24.10.2024

रिपोर्ट योग्य

न्यायालय द्वारा:

1. जल एक अमूल्य और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो सभी जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हम जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वह जानवर हों या पौधे, उन्हें अपनी दैनिक चयापचय क्रिया को पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन संश्लेषित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। एक जीव कुछ दिनों तक भोजन के बिना जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि पौधे भी जल के बिना सूख जाते हैं और अपने पत्ते गिरा देते हैं।
2. जल प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, जो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह पृथ्वी ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के लिए एक आवश्यक स्रोत है। इसका व्यापक रूप से विभिन्न प्रयोजनों जैसे पीने, कपड़े धोने, नहाने, सफाई, खाना पकाने, सिंचाई और अन्य औद्योगिक और घरेलू उपयोगों के लिए उपयोग किया जाता है।
3. जल के स्रोत विविध हैं, जिनमें वर्षा जल, भूजल- कुओं और झरनों में पाया जाने वाला और सतही जल- जलाशय, धाराएँ, तालाब, झीलें, टैंक और नदियाँ शामिल हैं। हालाँकि पृथ्वी की सतह का लगभग 97% भाग जल से ढका है, लेकिन केवल 2-3% ही पीने योग्य और सुरक्षित है। शेष जल का अधिकांश भाग खारा है, जबकि ग्रह का दो-तिहाई ताज़ा जल ग्लेशियरों में जमा है, जिससे यह मानव उपयोग के लिए काफी हद तक दुर्गम है। यह इस बात पर ज़ोर देता है कि सभी को जल की बर्बादी कम करनी होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बहुमूल्य संसाधन का संरक्षण करना होगा।

4. नदियाँ और जल निकाय, जो हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाते हैं, जीवन को आकार देने और उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक समाज तक, मानवता अस्तित्व, विकास और समृद्धि के लिए इन राजसी जलमार्गों पर निर्भर रही है। हमारे जीवन में नदियों और जल निकायों का महत्व अपार है, जो जलवायु नियंत्रण और खाद्य उत्पादन से लेकर व्यापार और परिवहन तक, हर चीज़ को प्रभावित करते हैं। ये विशाल जल निकाय जानवरों, पौधों और मनुष्यों, सभी के अस्तित्व के लिए मूलभूत हैं, और पृथ्वी पर जीवन की रीढ़ हैं।

5. यद्यपि नदियाँ पृथ्वी के कुल जल आयतन का केवल एक छोटा सा भाग हैं, फिर भी वे दुनिया भर में विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं और जलवायु के साथ सामंजस्य में वितरित हैं। नदियाँ सिंचाई, कृषि, पेयजल और ऊर्जा उत्पादन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

6. नदियों का एक पर्यावरणीय नियामक कार्य भी है। शहरों और कृषि क्षेत्रों के पास की नदियाँ अपनी जल-वहन क्षमता और बाढ़-रोधी प्रभावों के माध्यम से स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त, नदियों से सतही जल का वाष्पीकरण स्थानीय आर्द्रता और वर्षा के स्तर को प्रभावित कर सकता है।

7. नदियाँ आसपास की कृषि भूमि को सिंचाई जल प्रदान करके खाद्य उत्पादन में योगदान करती हैं। कृषि विश्व की जनसंख्या का भरण-पोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और नदी के किनारे अक्सर कृषि उद्देश्यों के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान करते हैं।

8. जल निकाय और नदियाँ हमारे जीवन के हृदय के रूप में महत्वपूर्ण जल संसाधन हैं। ये विशाल जल निकाय जलवायु नियमन, खाद्य उत्पादन, परिवहन और सांस्कृतिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, पर्यावरणीय खतरे और मानवीय गतिविधियाँ इन आवश्यक जल स्रोतों के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं। इसलिए, हमारे ग्रह और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए सतत जल संसाधन प्रबंधन और संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालाँकि नदियाँ पृथ्वी के कुल जल आयतन का केवल एक छोटा सा अंश हैं, फिर भी वे दुनिया भर की विविध भौगोलिक विशेषताओं और जलवायु के ताने-बाने में गहराई से गुंथी हुई हैं। ये जलमार्ग सिंचाई, कृषि, पेयजल और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।

9. इसके अलावा, नदियाँ पर्यावरण नियमन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शहरी क्षेत्रों और कृषि भूमि के निकट स्थित नदियाँ जल प्रवाह को प्रबंधित करने और बाढ़ को कम करने की अपनी क्षमता के माध्यम से स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। नदियों से सतही जल का वाष्पीकरण स्थानीय आर्द्रता और वर्षा के पैटर्न में भी योगदान देता है, जिससे पर्यावरण पर और अधिक प्रभाव पड़ता है।

10. नदियाँ आस-पास के कृषि क्षेत्रों को सिंचाई जल की आपूर्ति करके खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करती हैं। चूंकि कृषि वैश्विक जनसंख्या के पोषण के लिए आवश्यक है, इसलिए नदी के किनारों पर अक्सर उपजाऊ मिट्टी होती है जो भरपूर फसलों के लिए अनुकूल होती है।

11. संक्षेप में, जल निकाय और नदियाँ हमारे अस्तित्व की जीवनरेखा हैं, जो जलवायु विनियमन, खाद्य उत्पादन, परिवहन और सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, पर्यावरणीय खतरे और मानवीय गतिविधियाँ इन महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। इसलिए, हमारे ग्रह की भलाई और भावी पीढ़ियों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हमारे जल संसाधनों का सतत प्रबंधन और संरक्षण सर्वोपरि है।

12. नदियाँ मछलियों, पौधों और वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करती हैं और कई प्रजातियों के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालाँकि, नदियों और आस-पास के जल निकायों पर निरंतर अतिक्रमण जलीय प्रजातियों सहित सभी प्रकार के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है।

13. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 न केवल मानवाधिकारों की रक्षा करता है बल्कि मानव पर विलुप्त हो रही प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण का दायित्व भी डालता है। पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा जीवन के अधिकार का एक अविभाज्य हिस्सा है। **एम.सी.मेहता बनाम कमलनाथ एवं अन्य (1997) 1 एससीसी 388** में न्यायालय ने "सार्वजनिक न्यास" के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत का जोर इस बात पर है कि नदियों, समुद्र तटों, जंगलों और हवा जैसी कुछ सामान्य संपत्तियां सरकार द्वारा आम जनता के स्वतंत्र और निर्बाध उपयोग के लिए ट्रस्टीशिप में रखी जाती हैं। हवा, समुद्र, जल और जंगल जैसे संसाधनों का समग्र रूप से लोगों के लिए इतना अधिक महत्व है कि उन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित होगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षक के रूप में राज्य का कर्तव्य है कि वह न केवल जनता के लाभ के लिए, बल्कि वनस्पतियों और जीवों, वन्यजीवों आदि के सर्वोत्तम हित के लिए उनका रखरखाव करे।

14. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में निर्देश दिया है कि सार्वजनिक न्यास का मूल यह है कि यह सभी लोगों और विशेष रूप से भावी पीढ़ियों की ओर से सरकारी एजेंसियों और उनके प्रशासकों पर सीमाएं और दायित्व लागू करता है। राज्य में निहित सभी संपत्ति अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय प्रशासन द्वारा सार्वजनिक न्यास के सिद्धांत पर प्रबंधित की जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि स्थानीय प्रशासन इसे अपने तरीके से उपयोग करने के लिए स्वतंत्र या विवेक पर है। हमारे पास दो चीजें हैं, राज्य की संप्रभुता और सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत। हमें दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा, हालांकि राज्य के पास भूमि का उपयोग करने का पूरा अधिकार है लेकिन सार्वजनिक न्यास सिद्धांत कहता है कि जनता की संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए न कि निजी उद्देश्यों के लिए। जल निकाय, झील, हवा और जमीन ये सभी सार्वजनिक संपत्ति हैं और स्वास्थ्य और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए सभी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए महाराष्ट्र राज्य 2018 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 2680.2019(1) बॉम्बे सीआरआई और यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -

--सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की: - "2. भारतीय समाज कई शताब्दियों से पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा की आवश्यकता के प्रति जागरूक और सचेत रहा है।

भारत के ऋषि-मुनि वनों में रहते थे। वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों आदि में निहित उनके उपदेश, समाज में पेड़-पौधों, धरती, आकाश, वायु, जल और जीवन के हर रूप के प्रति सम्मान के पर्याप्त प्रमाण हैं। सामाजिक जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना है। उनकी रक्षा करना सभी का पवित्र कर्तव्य माना जाता था। उन दिनों, लोग पेड़ों, नदियों और समुद्र की पूजा करते थे, जिन्हें सभी जीवित प्राणियों का हिस्सा माना जाता था। बच्चों को समाज के बुजुर्गों द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ रखने और धरती, नदियों, समुद्र, जंगलों, पेड़ों, वनस्पतियों, जीवों और जीवन की हर प्रजाति की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित किया जाता था। प्राचीन रोमन साम्राज्य ने एक कानूनी सिद्धांत विकसित किया जिसे "सार्वजनिक ट्रस्ट का सिद्धांत" के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना इस आधार पर की गई थी कि वायु, समुद्र, जल और वन जैसी कुछ साझी संपत्तियाँ आम जनता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और सरकार को इन्हें आम जनता के स्वतंत्र और निर्बाध उपयोग के लिए एक ट्रस्टी के रूप में अपने पास रखना चाहिए और इन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित होगा। यह सिद्धांत सरकार को संसाधनों को आम जनता के आनंद के लिए संरक्षित करने का निर्देश देता है, न कि कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के लिए निजी स्वामित्व या व्यावसायिक दोहन की अनुमति देने का।

15. जलाशयों के समक्ष उपस्थित समस्या की गंभीरता को समझते हुए, केंद्र ने 2005 में जलाशयों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य पारंपरिक जलाशयों का व्यापक सुधार और पुनरुद्धार करना था। इसमें तालाबों की भंडारण क्षमता में वृद्धि, भूजल पुनर्भरण, पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि, तालाबों के जलग्रहण क्षेत्रों में सुधार आदि शामिल थे। हालाँकि, इस संबंध में ज़मीनी स्तर पर बहुत कुछ नहीं देखा गया है।

16. पूरा देश लगभग हर जगह पेयजल की भारी कमी का सामना कर रहा है और वास्तव में, यह एक वैश्विक समस्या है। यही कारण है कि नियामकों/वैधानिक प्राधिकरणों को पर्यावरण और पारिस्थितिकी, विशेष रूप से आर्द्रभूमि/जल निकायों के संरक्षण के लिए ज़िम्मेदारी से कार्य करने की आवश्यकता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक ज़िम्मेदार और जवाबदेह तरीके से कार्य करें और किसी आर्द्रभूमि/जल निकाय के आसपास किसी भी निर्माण गतिविधि की अनुमति देने से पहले, विशेष रूप से तब जब परियोजना स्थल आर्द्रभूमि से सटा हो, गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। जल के महत्व को कोई नकार नहीं सकता।

17. प्राकृतिक वनस्पतियों और जीव-जंतुओं से भरपूर इन स्थलों की सुरक्षा के लिए निगरानी रखने हेतु गठित विभिन्न वैधानिक प्राधिकरण, सुरक्षा के प्रति उतने गंभीर और ईमानदार नहीं हैं, बल्कि केवल तकनीकी रूप से ही काम कर रहे हैं। वे सुरक्षा के लिए आवश्यक सख्त और कठोर उपाय अपनाने के बजाय इन गतिविधियों को अनुमति देने में उदारता बरतते हैं।

18. पर्यावरण की समस्या आज एक वैश्विक समस्या बन गई है। गैर-ज़िम्मेदाराना और लापरवाह विकास पर्यावरण के लिए दुश्मन साबित हुआ है। इसने हर जगह प्रदूषण बढ़ा दिया है और वैश्विक नेताओं को ज़रूरत पड़ने पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े प्रावधान बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज पर्यावरण की स्थिति बेहद चिंताजनक है।

19. "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक 18.10.2024 को प्रकाशित एक हालिया समाचार लेख में कई तालाबों और झीलों पर हो रहे अतिक्रमणों पर प्रकाश डाला गया है। न्यायालयों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा जारी कई निर्देशों के बावजूद, अतिक्रमणकारियों का दुस्साहस दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। वे इन बहुमूल्य जलस्रोतों पर लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं, जबकि सरकारी प्रशासन मूकदर्शक बनकर निष्क्रिय बना हुआ है। राज्य भर में कई नदियाँ और कई अन्य जलस्रोत गंभीर अतिक्रमण का सामना कर रहे हैं, जिससे सभी जीवों और पर्यावरण का कल्याण खतरे में पड़ रहा है। यह अनियंत्रित दोहन न केवल जैव विविधता, बल्कि

हमारे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। निम्नलिखित समाचार प्रकाशित हुआ और उसे इस प्रकार पढ़ा गया:-

चाहिए जीवनदान : हाईकोर्ट-एनजीटी के आदेशों के बावजूद सुरक्षित नहीं जलस्रोत

नदियों के किनारे कब्जा किनका... सिकुड़ती नदियां और जलीय जीव पूछ रहे

शैलेन्द्र अग्रवाल
petrika.com

जयपुर . तालाब-झील और नालों के बाद अब नदियों के किनारे अतिक्रमणों की बाढ़ से नहीं बच पा रहे। इस समस्या से न चंबल नदी बच पाई है और न ही जयपुर जिले की तालाब बाणगंगा तथा बालोतरा की लूणी नदी। उदयपुर की आयड़ नदी को भी संरक्षण की दरकार है। कई बार प्रभावशाली लोगों के कब्जे या मिलीभगत के आरोप लगे। जिम्मेदारों की शह या अनदेखी के कारण इन पर कार्रवाई के हाईकोर्ट के आदेश भी बेअसर रहे।

हाईकोर्ट ने अब्दुल रहमान, रामगढ़ बांध सहित कई मामलों में नदियों सहित सभी जलस्रोतों के संरक्षण और उन्हें 1955 की स्थिति में लाने का आदेश दिया। अतिक्रमण से जलस्रोतों का दम घुटने के मामले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) व सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। रामगढ़ बांध का भी मामला सामने है।

पढ़ें नदियों @ पेज 40

प्रदेश की नदियों में दिख रही अतिक्रमण की बाढ़



प्रशासन मौन... कोटा . चंबल नदी के किनारे किशोपुरा में अतिक्रमण कर किए जा रहे निर्माण कार्य (गोले में)।

नदियां जूझ रही अतिक्रमण से हम बता रहे हैं कुछ का हाल

■ **जयपुर** : दूधवती नदी के 47 किमी क्षेत्र में सौंदर्यीकरण कार्य से पहले काफी अतिक्रमण थे। हाईकोर्ट ने बहाव क्षेत्र में निर्माणधीन इमारत विस्फोटक से उड़वाई, लेकिन मलबा अब भी है। हसनपुरा के पास 80 मीटर क्षेत्र में और पानीपेव के पास अतिक्रमण हैं। ईआरसीपी से जोड़ें तो बेहतर विकास होगा।

■ **कोटा** : चंबल रिवर फ्रंट के पास अतिक्रमण रुक गया, लेकिन नयापुरा पुलिया के आगे बस्तियां हैं। नयापुरा से केशवरायपाटन तक नदी किनारे घड़ियाल व मगरमच्छ के प्रजनन स्थल माने जाते हैं, यहां जलीय जीवन सिमट रहा है। कोटा-बूंदी में अवेध खनन से घड़ियाल प्रजनन स्थल नष्ट हो गए।

■ **बालोतरा** : हाईकोर्ट के 2022 के आदेश के बाद लूणी नदी के किनारे अतिक्रमण हटाए गए लेकिन बालोतरा, जसोल, बिंदूजा में अतिक्रमण फिर आ गए।

■ **उदयपुर** : एनजीटी में अधिकारियों ने आयड़ नदी के संरक्षण का भरोसा दिलाया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

अतिक्रमण तो है

हम मानते हैं अतिक्रमण है। नदी-तालाब बचने ही चाहिए, नहीं तो पानी कहाँ से आएगा। इनके भराव क्षेत्र को नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन बनाएंगे। इनको बचाने के लिए ड्रोन सर्वे करा रहे हैं। इससे अतिक्रमण का पता चल सकेगा। इस कार्य के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इस पर चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है।

सुरेश सिंह रावत,
जल संसाधन मंत्री

पानी का जीडीपी पर भी प्रभाव

6 प्रतिशत जीडीपी पर पानी का प्रभाव है। केन्द्र सरकार मान चुकी कि सुरक्षित जल नहीं मिलने से देश में हर साल दो लाख मौत हो रही हैं। ऐसे में मास्टर प्लान की सख्ती से पालना आवश्यक है और हर जिले में नदियों का सेटलाइट सर्विलांस व मैपिंग किए जाएँ।

आकाश वशिष्ठ,
अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

20. आए दिन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में ऐसी खबरें प्रकाशित होती रहती हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों, खासकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और जल शक्ति मंत्रालय, की नदियों को अवैध निर्माण और अतिक्रमण से बचाने में गंभीर विफलता को दर्शाती हैं। सरकार ने नदी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (संक्षेप में '1986 का अधिनियम') के तहत आवश्यक कार्रवाई नहीं की है।

21. नदी संरक्षण क्षेत्र (हानिकारक गतिविधियों का विनियमन) नियमों का मसौदा 2012 में तैयार किया गया था, जिसके बाद 2015 में "नदी संरक्षण क्षेत्र" और "नदी विनियमन क्षेत्र" से संबंधित अधिसूचनाएँ जारी की गईं। हालाँकि, काफी समय बीत जाने के बावजूद, ये अधिसूचनाएँ, जिनमें 2011 में जारी पहला नदी क्षेत्र मसौदा भी शामिल है, आज तक लागू नहीं हुई हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई इन अधिसूचनाओं को अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए, न कि केवल निष्क्रिय रिकॉर्ड के रूप में। इनका क्रियान्वयन हमारी नदियों और जल

निकायों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, न केवल सभी जीवित प्राणियों की भलाई के लिए बल्कि जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के अस्तित्व के लिए भी।

22. राज्य भर में कई नदियाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं और अपने नदी तल, बाढ़ के मैदानों और जलग्रहण क्षेत्रों में अनियंत्रित अवैध निर्माण और अतिक्रमण के कारण विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये गतिविधियाँ न केवल जल को प्रदूषित करती हैं, बल्कि भूजल पुनर्भरण में भी बाधा डालती हैं, आवश्यक पारिस्थितिक प्रवाह को बाधित करती हैं और नदी रेखा की जैव विविधता को नष्ट करती हैं। इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों को अपूरणीय क्षति पहुँचने से पहले उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

23. नदियों और जल निकायों पर अवैध अतिक्रमण के परिणामस्वरूप गंभीर जल संकट पैदा हो गया है, जिससे देश की जल सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है।

24. नीति आयोग और विभिन्न सरकारी विभागों की 2018 की एक रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि हमारा देश इतिहास के सबसे बुरे जल संकट से जूझ रहा है।

25. हमारे पूर्वजों ने नदियों और जलाशयों में पानी देखा था। हमने नलों में पानी देखा है। अगर हालात ऐसे ही रहे और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने जल संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत कदम नहीं उठा पाए, तो आने वाली पीढ़ी को बोटलों में पानी देखने को मिलेगा। अगर अभी कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया, तो आने वाली पीढ़ी को कैप्सूल में पानी देखने को मिलेगा। यही सही और सही समय है कि हम अपने बहुमूल्य जल संसाधनों को बचाने के लिए अभी से कदम उठाएँ, वरना वह दिन दूर नहीं जब पानी की कमी के कारण एक दिन गृहयुद्ध या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा।

26. अब निर्णायक कार्रवाई करने का समय आ गया है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमारी निष्क्रियता के लिए हमें दोषी न ठहराएँ। अगर हम तुरंत सख्त कदम नहीं उठाते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए फलने-फूलने का अवसर खो देंगे। अगर हम अभी सख्त कदम नहीं उठाते हैं, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को फलते-फूलते देखने का मौका गँवा देंगे।

27. हम सभी, सरकारों और सभी हितधारकों की ज़िम्मेदारी है कि हम पानी के महत्व को समझें और इस महत्वपूर्ण संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाएँ।

28. हमें इस साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होना होगा। हमारी नदियों और जल निकायों की रक्षा के लिए एक आंदोलन शुरू करने हेतु व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं। जल

संरक्षण और इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण हम सभी की सामूहिक ज़िम्मेदारी है। सभी जीवों के हित में कदम उठाने और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने का यह सही समय है।

29. नदियों और उनकी सहायक नदियों के नदी तल, बाढ़ के मैदानों और जलग्रहण क्षेत्रों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 24(1)(ख) का सीधा उल्लंघन करते हैं। यह महत्वपूर्ण कानून जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, जिससे ऐसे अतिक्रमण न केवल पर्यावरणीय चिंता का विषय हैं, बल्कि एक गंभीर कानूनी अपराध भी हैं। हमारे जल निकायों की अखंडता सर्वोपरि है और हमारे बहुमूल्य जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम का पालन आवश्यक है।

30. स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, नदियों और जल निकायों पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को रोकने तथा जल और प्रजातियों को बचाने के लिए प्रभावी और त्वरित कदम उठाने हेतु स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया जाता है। इस याचिका को इस रूप में पंजीकृत किया जाए:

स्वप्रेरणा: नदियों, झीलों और जल निकायों को अवैध निर्माण और अतिक्रमण से बचाने के मामले में।

बनाम

1. भारत संघ अपने सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. भारत संघ द्वारा अपने सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से।
3. राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

31. प्रतिवादियों को कारण बताओ नोटिस जारी करें कि क्यों न निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाएं:-

(I) सरकार द्वारा शुरू की गई जल संरक्षण योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सभी वरिष्ठ आईएएस और आरएएस अधिकारियों को शामिल करते हुए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करना।

(II) प्रत्येक जिले के संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों सहित संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों के गठन हेतु निर्देश जारी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नदियों, झीलों, तालाबों और जल निकायों की भूमि पर कोई अतिक्रमण न हो और यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे हटाने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं।

(III) नदियों, बाढ़ के मैदानों और सभी नदियों, जल निकायों, जलमार्गों और जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों पर सभी अवैध और अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों को ध्वस्त करना और उन्हें उनके मूल स्वरूप में बहाल करना;

(IV) नदियों, जलमार्गों और जलमार्गों आदि को कानूनी संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्देश जारी करना;

(V) प्रतिवादियों को नदी संरक्षण क्षेत्र (आरसीजेड) विनियम, 2015 को बिना किसी विलम्ब के तत्काल अधिसूचित करने हेतु निर्देश जारी करना।

(VI) प्रतिवादियों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत तत्काल कदम उठाने हेतु निर्देश जारी करना ताकि नदियों, जलमार्गों और जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों में आगे कोई भी अवैध और अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण न होने दिया जाए।

(VII) प्रतिवादियों को उपग्रह, ड्रोन और अन्य हवाई निगरानी, समर्पित नियंत्रण कक्षों सहित ऑनलाइन निगरानी तंत्र और नदियों, जलमार्गों और जलग्रहण क्षेत्र में अवैध और अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को रोकने और रोकने हेतु निवारण तंत्र स्थापित करने हेतु निर्देश जारी करना।

(VIII) केंद्र और राज्य सरकार तथा संबंधित विभाग को एक वेबसाइट स्थापित करने हेतु निर्देश जारी करना जो शिकायत तंत्र की कार्यप्रणाली और संबंधित प्राधिकरण के उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तरदायी होगी। वेबसाइट पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी का संपर्क विवरण और एक टोल-फ्री नंबर भी उपलब्ध होगा।

(IX) न्याय के हित में कोई अन्य निर्देश जारी करने के लिए।

32. राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव और जल शक्ति मंत्रालय के सचिव से नदियों और जल निकायों की भूमि पर अतिक्रमण और अवैध, अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों और इस संबंध में बनाए गए कानूनों, नियमों और विनियमों के उचित कार्यान्वयन के लिए की गई पहल के बारे में एक रिपोर्ट तलब की जाए।

33. यह न्यायालय श्री शैलेश प्रकाश शर्मा, श्री सिद्धार्थ बापना और श्री आयुष सिंह, अधिवक्ता; श्री आर.डी. रस्तोगी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री राजेंद्र प्रसाद, महाधिवक्ता से अनुरोध करता है कि वे इस याचिका से संबंधित मुद्दे पर न्यायालय की सहायता करें। संबंधित वकीलों और उनके सहयोगियों के नाम वाद-सूची में दर्शाए जाएँ।

34. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस मामले को 18.11.2024 को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

35. इस आदेश की एक प्रति राज्य के मुख्य सचिव और जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय और संबंधित वकीलों को उनकी सूचना और इस आदेश के आवश्यक अनुपालन के लिए भेजी जाए।

(अनूप कुमार ढांड), जे

करण/

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate